मेजर अरुण कुमार सिन्हा

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

25 जुलाई, 2001

[के. टी. थॉमस और आर. पी. सेठी, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानून : सशस्त्र बलों

अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट देने के लिए निर्देश : मद संख्या 107 एवं 108।

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट - में प्रतिकूल टिप्पणी - के विरुद्व सांविधिक और गैर- सांविधिक शिकायत - प्रस्तुत - निर्धारित समय अविध से परे, निर्धारित समय के निर्देशों की पोषणीयता - सांविधिक या गैर सांविधिक शिकायत को प्रस्तुत करने के लिये असाधारण परिस्थितियों में 60 दिन की अविध 90 दिन तक बढाई जाने योग्य - सेना के अधिकारी ने 5 साल से अधिक समय बीतने के बाद अपने ए. सी. आर. के खिलाफ एक सांविधिक शिकायत दर्ज की - अभिनिर्धारित किया, अधिकारी ऐसी विलंबित शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं हैं।

सेना अधिनियम, 1950 :

धारा 27 -सांविधिक शिकायत - निर्धारित अविध से परे प्रस्तुत करना - की पोषणीयता - अभिनिर्धारित, पोषणीय नहीं ।

अपीलकर्ता को सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर सैकंड लेफिटनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में एक स्थाई कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल किया गया था। चूंकि अपीलकर्ता को लेफिटनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था, इसलिये उसने प्रतिवादी अधिकारियो को एक अभ्यावेदन दिया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। अधिकारियो पर गोपनीय रिपोर्ट प्रस्त्त करने के लिये निर्देशों के मद संख्या 107 और 108 में एसी आर में प्रतिकृल टिप्पणियों के खिलाफ सांविधक या गैर सांविधिक शिकायते दर्ज करने के लिये 60 दिनों की समय अविध निर्धारित की गई है, जिसे असाधारण परिस्थितियों में 90 दिनों तक बढाया जा सकता है। यह आशंका जताते ह्ये कि 1989-90 की अवधि के लिये एसीआर के कारण उन्हे पदोन्नत नहीं किया गया था, अपीलकर्ता ने 5 साल से ज्यादा की अवधि समाप्त होने के बाद सेना अधिनियम, 1950 की धारा - 27 के अंतर्गत सांविधिक शिकायत प्रस्त्त की, जिसे खारिज कर दिया गया। हालांकि, वैधानिक शिकायत दर्ज करने से पहले अपीलार्थी ने एक गैर-सांविधिक शिकायत प्रस्त्त की थी, जो आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी। व्यथित होने पर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालयके समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जो कि खारिज की गई थी। इसलिये यह अपील है। अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया :

- अपीलार्थी ने, स्वीक्रत रूप से अधिकारियों को गोपनीय रिपोर्ट देने के निर्देश के पैराग्राफ 107 और 108 के तहत निर्धारित समय के भीतर कोई सांविधिक या गैर- सांविधिक शिकायत दर्ज नहीं की थी। [13-ई]
- 2. भले ही प्रतिवादी उक्त निर्देशों के पैराग्राफ 107 और 108 के मददेनजर अपीलकर्ता द्वारा दायर गैर-सांविधिक शिकायत पर निर्णय लेने के लिये बाध्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसके पक्ष में आंशिक रूप से निर्णय लेकर इसका निस्तार कर दिया। इसलिये, प्रतिवादीगणों की कार्यवाही से अपीलकर्ता के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। [12 जी एच; 113 ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 4663 / 2001

(एल. पी. ए. सं. 523/98 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 1.11.1999 से।)

डेविड राव और ख्वैरकपम नोबिन सिंह, अपीलकर्ता के लिये।

पी. पी. मल्होत्रा, सुश्री विभा दत्ता मखीजा और शैल कुमार द्विवेदी, प्रतिवादीगणों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सेठी, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था ।

अनुमति दी गई।

लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नति पाने में अपनी लगातार विफलताओं से निराश होकर, अपीलार्थी ने अपने ए. सी. आर. से छ्टकारा पाने के उद्देश्य से न्यायिक कार्यवाही का सहारा लिया, जो हर समय, सशस्त्र बलो की सेवा में अन्य पात्र व्यक्तियों के साथ चयन करते समय त्लनात्मक योग्यता के आधार पर उसके रास्ते में आता था। उसकी बाधाओं को दूर करने की सरलता अर्थात, उसकी ए. सी. आर. को 22 जून, 1989 को सेना मुख्यालय के पत्र संख्या 32666 द्वारा प्रेरित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि उन अधिकारियों के मामले जिन्होंने अपने ए. सी. आर. के खिलाफ शिकायतें की थीं और कानूनी प्रक्रियामें निर्णयों की प्रतीक्षा कर रहे थे, को चयन बोर्ड में एक निश्चित ग्रेडिंग दी जायेगी। अपीलार्थी के अपने ए. सी. आर. के रूप में अड़चन को पार करने के उद्यम को उच्च न्यायालय की न्यायिक घोषणाओं, पहले एकल न्यायाधीश और फिर इस अपील में दिये गये आक्षेपित आदेश के तहत खंडपीठ द्वारा विफल कर दिया गया था।

अपीलार्थी ने दावा किया कि उसे सितंबर 1977 में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर सैकंड लेफ्टिनेंट के रूप में सेना में नियुक्त किया गया था। उन्हें कैप्टन के तौर पर 1/5/1978 को स्थाई कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल किया गया था और मेजर के तौर पर 1/5/1989 को पदस्थापित किया गया था। चूंकि वह लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत नहीं किये गये थे, उन्होंने प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया, जिसे रिट याचिका के आक्षेपित आदेश के द्वद्वारा खारिज कर दिया गया था। अंदेशा जताते ह्ये कि उन्हें अविध 1989-90 की ए सी आर के कारण पदोन्नत नहीं किया गया था, अपीलार्थी ने 19 मार्च, 1996 को एक सांविधिक शिकायत की थी जिसे संबंधित रिकॉर्ड की जांच के बाद खारिज कर दिया गया । यह माना गया कि अपीलकर्ता की सांविधिक शिकायत में कथित अवैधताओं के कारण उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि सांविधिक शिकायत दर्ज करने से पहले, अपीलकर्ता ने एक गैर सांविधिक शिकायत के उपचार का लाभ उठाया था, जिसे व्यक्तिपरकता के आधार पर सीआर 01/87-05/88 में आईओ और एसआरओ के पूर्ण मूल्याकंनके निष्कासन के माध्यम से आंशिक रूप से अन्मति दी गई थी। यह भी निर्देश दिया गया कि अपीलकर्ता के सीआर डोजियर से उक्त विपथन को हटा दिया जाये और नीति के अन्सार किसी भी उपयुक्त चयन बोर्ड द्वारा उसे पदोन्नति के लिये विचार किया जाये।

कथित प्रतिकूल टिप्पणियों के निष्कासन से संतुष्ट नहीं होने पर, अपीलकर्ता ने उचच न्यायालय में एक रिट याचिका दयर की, जिसमें कथित तौर पर उसकी शिकायत पर उसके पक्षमें पारितआदेश को चुनौती दी गई। प्रतिवादीगणों द्वारा दायर जवाबी शपथपत्रों में यह प्रस्तुत किया गया था कि एक विशेष बैच के सभी अधिकारियों को पदोन्नित देने से पहले अधिकारियों की व्यक्तिगत प्रोफाईल और बैच योग्यता के आधार पर ऐसे कट ऑफ एसीआर और इनप्टपर विचारकिया गया था। आगे यह भी

कहा गया कि केवल एसीआर ही उच्च पद पर पदोन्नति के लिये एकमात्र मानदंड नहीं है। अन्मोदित अधिकारियों को सूचीबद्व किया गया और फिर उनकी वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नत किया गया। कथित तौर पर अपीलकर्ता के मामले पर चयन बोर्ड द्वारा तीन बार विचार किया गया था यानि कि नये सिरे से विचार, पहली समीक्षा और अंतिम समीक्षा और वह बोर्ड द्वारा पदोन्नतिके लिये उपयुक्त नहीं था। प्रतिवादीगणो ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्ष 1989-90 के लिये अपीलकर्ता के एसी आर में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई थी। प्रस्त्त किये गये जवाबी शपथपत्रो और किसी भी कान्न या नियम का उल्लंघन दिखाने मे अपीलकर्ता की विफलता के आलोक में, उच्च न्यायालय के विक्षन एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाको खारिज कर दिया, जिसके बादअपीलकर्ताने लैटर्स पेटेंट अपील दायर की, जिसे आक्षेपित आदेश के तहत खारिज कर दिया गया। इसलिये यह अपील है।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने "अधिकारियों पर गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश" (इसके बाद "निर्देश"के रूप में संदर्भित) के विभिन्न मदो की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है,यह आग्रह करने के लिये कि वर्ष 1989-90 के लिये अपीलकर्ता की एसीआर प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है और अपीलार्थी सरकार के 22 जून, 1989 के आदेश के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र है।

दोनों पक्षों की लंबी दलीलें स्नने और प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा हमें दिखाए गए अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, हम पाते हैं कि अपीलार्थी के ए. सी. आर. को उसके द्वारा भरोसा किये गये सरकारी आदेश का लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से सांविधिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार देने वाला प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है। हालांकि एसीआर, विशेष रूप से पैरा 11,12 और 18, जिससे अपीलार्थी व्यथित है, उसे 28 दिसंबर, 1990 को सूचित किया गया था, जिसका उद्धरण उसने विधिवत हस्ताक्षर करने के बाद 6 नवंबर, 1990 को अधिकारियों को लौटा दिया था, फिर भी वर्ष 1996 तक अपीलकर्ता द्वारा कोई शिकायत, सांविधिक शिकायत तो दूर, भी दायर नहीं की गई थी। भले ही प्रतिवादीगण अपीलकर्ता द्वारा दायर गैरसांविधिक शिकायत पर निर्णय लेने के लिय बाध्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसके पक्ष में आंशिक रूप से निर्णय लेकर आदेश दिनांक 7/2/1996 द्वारा उसका निस्तारण कर दिया, जो इस प्रकार 충:

- 1. अपने पत्र क्रमांक 308/13/ए (पीसी) दिनांक 23/8/95 का संदर्भ ले।
- 2. सुपरसेशन के खिलाफ आई. सी. 37110 एम. मेजर ए. के. सिन्हा, आई.एनएफ. (जी. ए. आर. एच.) द्वारा प्रस्तुत गैर सांविधिक शिकायत दिनांक 12/4/95 की अधिकारी की समग्र प्रोफाईल और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के खिलाफ जांच की गई है। शिकायत के सभी पहलुओं पर विचार करने और शिकायत द्वारा मांगे गए निवारण के खिलाफ इसे देखने

के बाद, सीओएएस ने निर्देश दिया है कि सी. आर. 01/87-05/88 में आई. ओ. और एस. आर. ओ. के पूर्ण मूल्यांकन के निष्कासन के माध्यम से आंशिक निवारण व्यक्तिपरकता के आधार पर प्रदान किया जाए।

- 3. सी. ओ. ए. एस. ने यह भी निर्देश दिया है कि उक्त विचलन को अधिकारी के सी. आर. डोजियर से हटा दिया जाए और नीति के अनुसार उचित चयन बोर्ड द्वारा पदोन्नति के लिए उस पर पुनर्विचार किया जाए।
- 4. तदुनसार कार्यालय के सीआरडी में आवश्यक निष्कासन किए गए हैं। 1978 बैच के अंतिम समीक्षा मामले मे एक बार फिर अपीलकर्ताको लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नित के लिए नहीं चुना गया था, उन्होंने दिनांक 19/3/1996 को सांविधिक शिकायत दर्ज करके मुकदमेबाजी के लिये एक आधार तैयार किया। इस शिकायत को भी गुणावगुण पर दिनांक 1/10/1996 को खारिज कर दिया गया था। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतिवादी निर्देशों के पैरा 107 और 108 के मददेनजर उक्त शिकायत पर निर्णय लेने के लिये बाध्य नहीं थे। उक्त पैरा 107 और 108 प्रदान करते हैं:-

"107. एक अधिकारी जो सुपरसेशन के कारण या सीआर में किसी भी रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा खुद को गलत मानता है, वह अपने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देकर, या सेना अधिनियम की धारा 27 के तहत केंद्र सरकार को एक वैधानिक शिकायत कर सकता है, जैसा भी

मामला हो, सेना के लिए विनियमों (संशोधित) के पैरा 361 और सेना आदेश 132/77 और 119/80 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ।

108. सभी अभ्यावेदन और शिकायतें संबंधित अधिकारी को टिप्पणियों के संसूचित होने की तारीख के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी। असाधारण परिस्थितियों में, यह अविध 90 दिनो तक बढ सकती है। संबंधित अधिकारी को टिप्पणियों के संचार के 60 दिनों से अधिक समय बाद प्रस्तुत किया गया प्रतिनिधित्व या शिकायत देरी के कारणों के साथ होनी चाहिये। मध्यवर्ती अधिकारी केवल प्रस्तुत करने में देरी के कारण अभ्यावेदन को नहीं रोकेंगे और देरी के कारणों के औचित्य या अन्यथा पर टिप्पणी करेंगे। समय बाधित गैर सांविधिक शिकायतों के मामले में, यदि देरी के कारणठोस नहीं है, तो ऐसी शिकायत को सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर खारिज किया जा सकता है।"

हमारे समक्ष यह स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्ता ने निदेशों के उपरोक्त पैरा के तहत निर्धारित समय के भीतर कोई सांविधिक या गैर सांविधिक शिकायत दर्ज नहीं की थी। हम पाते है कि प्रतिवादीगणो की कार्यवाही से अपीलकर्ता के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। अपील में कोई योग्यता नहीं है जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश दिये बिना।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।